पंजीकृत एडी/स्पीड पोस्ट, चिपकाकर, दस्ती द्वारा

कार्यालय ऋण वसूली अधिकारी-I
ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

मांग सूचना

(ऋण वसूली और दिवालिया अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 तथा आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत सूचना

टी.आर.सी./363/2023 तिथि: 24.04.2026

निम्नलिखित के मामले में :

विजया बैंक

बनाम

ओतास्रा इंडिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

सेवा में,

सीडी#1 मेसर्स ओतास्रा इंडिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
इसके निदेशक के माध्यम से, 32, जगदीश नगर, हापुड रोड, गाजियाबाद-201001

इसके अलावा: यूनिट नंबर 192, राजिंदर नगर, औद्योगिक क्षेत्र, पी.ओ. मोहन नगर, गाजियाबाद-201007

सीडी#2 श्री नरेंद्र कुमार शर्मा, पुत्र श्री लीलाधर शर्मा,
32, जगदीश नगर, हापुड रोड, गाजियाबाद-201001 इसके अलावा: सी-198, पंचशील एन्क्लेव, भोपुरा, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201005,

सीडी#3 श्रीमती सिमरजीत कौर वोहरा 32, जगदीश नगर, हापुड रोड, गाजियाबाद-201001

इसके अलावा: मकान नं. 29, नवीन कुंज, लोनी देहात गाजी, गाजियाबाद, उ.प्र.-201102.

इसके अलावा: मकान नं. 14/जे, ईस्ट आजाद नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051

यह अधिसूचित किया जाता है कि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली द्वारा ओ.ए. नं. 885/2016 में आहरित आइबिड वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार रु. 14,96,275 (रुपये चौदह लाख छियाने हजार दो सौ पचहत्तर मात्र) आपकी ओर बकाया है। सीएच बैंक पेंडेंटलाइट और 02.12.2016 से वसूली तक 12.00% वार्षिक भावी ब्याज का साथ रु. 14,79,275 (रुपये चौदह लाख उन्यासी हजार दो सौ पचहत्तर मात्र) वसूल करने का अधिकारी है। संबंधित सीडी को आदेश दिया जाता है कि वे सीएच बैंक को डिक्री की राशि का भुगतान करें; ऐसा न करने पर, यह राशि सीडी की निजी चल और अचल संपत्तियों से वसूल की जाएगी।

आपको एतद्द्वारा उपरोक्त राशि का भुगतान नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर ऋण वसूली एवं दिवालिया अधिनियम, 1993 और उसके तहत नियमों के अनुसार वसूली की जाएगी।

एतद्द्वारा आपको आदेश दिया जाता है कि आप भावी कार्यवाही के लिए अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 24.07.2026 को सुबह 11.00 बजे उपस्थित हों।

उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:

1. प्रमाण पत्र/निष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय ऐसे ब्याज।
2. इस नोटिस और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं की सेवा के संबंध में बकायों की वसूली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाही हेतु किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।
3. इस बीच, सीडी को निर्देश दिया जाता है कि वे अपनी निजी संपत्तियों को न तो बेचें/ट्रांसफर करें और न ही उनमें किसी तीसरे पक्ष का हित सृजित करें।

(अर्चना सहगल)
वसूली अधिकारी-I
डीआरटी - II, दिल्ली

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

शाखा – करोल बाग, पूर्वी दिल्ली
पता– 15A/14 WEA अजमल खान रोड, करोल बाग, नई दिल्ली– 110005,
ईमेल: KAROLB@BANKOFBARODA.COM मो.न.- 7838860672.

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस,
परिशिष्ट–**IV-A** [नियम **8 (6)**देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन

आम लोगों को और विशेष रूप से कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का **कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को प्रत्याभूत – दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(रों)/प्रतिभूति आस्तियां/बकाया/आरक्षित मूल्य/ई–नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है

क्र. सं.	कर्जदार्स/गारंटर्स/बंधककर्ताओं का नाम एवं पता	ज्ञात भार के साथ अचल संपत्तियों का विवरण, यदि कोई हो (बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बंधक)	कुल बकाया	ई–नीलामी की तिथि /समय प्रारंभ समय से अंतिम समय तक	1. आरक्षित मूल्य 2. जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 3. न्यूनतम बोली वृद्धि राशि रु.	कब्जा की स्थिति (रचनात्मक/ भौतिक)	निरीक्षण की तिथि एवं समय
1	**मैसर्स मेडॉक्स लाइफ साइंसेज (उधारकर्ता)** **पता 1:** 23/35, प्रथम तल, एमजीएस अस्पताल के निकट, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली – 110026 **पता 2:** औद्योगिक प्लॉट संख्या 81–ए, फेज–III, औद्योगिक क्षेत्र, संसारपुर टैरेस, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश – 176501 **पता 3:** औद्योगिक प्लॉट संख्या 204 एवं 205 का आंशिक भाग, फेज–III, औद्योगिक क्षेत्र, दीपक बैटरी के निकट, संसारपुर टैरेस, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश – 176501 **पता 4:** औद्योगिक प्लॉट संख्या 222 एवं 223, यूनिट–II, फेज–III, औद्योगिक क्षेत्र, दीपक बैटरी के निकट, संसारपुर टैरेस, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश – 176501 **पता 5:** प्लॉट संख्या 112, ग्राम दरगल, गुलधर, दिल्ली–मेरठ रोड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश **श्री तरुण पाल सिंह जग्गी (भागीदार एवं गारंटर)** **पता:** 8/53 बी, ग्राउंड फ्लोर, वेस्ट पंजाबी बाग, पश्चिम दिल्ली – 110026 **सुश्री मनदीप कौर जग्गी (भागीदार एवं गारंटर)** **पता 1:** 8/53 बी, ग्राउंड फ्लोर, वेस्ट पंजाबी बाग, पश्चिम दिल्ली – 110026 **पता 2:** 4/70, ग्राउंड फ्लोर, वेस्ट पंजाबी बाग, पश्चिम दिल्ली – 110026 **श्रीमती अमनदीप कौर जग्गी, पत्नी श्री तरुण पाल सिंह जग्गी (गारंटर)** **पता 1:** 8/53 बी, ग्राउंड फ्लोर, वेस्ट पंजाबी बाग, पश्चिम दिल्ली – 110026 **पता 2:** 4/70, ग्राउंड फ्लोर, वेस्ट पंजाबी बाग, पश्चिम दिल्ली – 110026 **श्री जसविंदर सिंह जग्गी (गारंटर)** **पता:** 2292, प्रथम तल, राजा पार्क, शकूर बस्ती, सरस्वती विहार, उत्तर–पश्चिम दिल्ली – 110034	प्लॉट नंबर 81–ए, फेज– III, इंडस्ट्रियल एरिया, संसारपुर टैरेस, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश–176501, क्षेत्रफल परिमाप 1000 वर्ग मीटर है। इसकी सीमा इस प्रकार है: दक्षिण – अन्य का प्लॉट उत्तर – रोड पूर्व – रोड पश्चिम – कबाड़िया **स्वामी : मैसर्स मेडॉक्स लाइफ साइंसेज** इंडस्ट्रियल प्लॉट नंबर 204 और 205 का हिस्सा, फेज–III, इंडस्ट्रियल एरिया, संसारपुर टेरेस, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश–176501, क्षेत्रफल परिमाप 425 वर्ग मीटर, सीमा निम्नानुसार : दक्षिण – नाला/ अन्य का भवन उत्तर – अन्य का भूखंड पूर्व – सड़क पश्चिम – औद्योगिक सड़क **स्वामी : मैसर्स मेडॉक्स लाइफ साइंसेज,** प्लॉट नंबर 222–223, फेज– III, इंडस्ट्रियल एरिया, संसारपुर टैरेस, तहसील जसवां और जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश–176501 क्षेत्रफल परिमाप 1180 वर्ग मीटर, सीमा निम्नानुसार : दक्षिण – नाला उत्तर – मैसर्स एम वेल फार्मा पूर्व – रोड पश्चिम – स्वान खाद **स्वामी : मैसर्स मेडॉक्स लाइफ साइंसेज,** डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नेताजी सुभाष प्लेस, वज़ीरपुर, नई दिल्ली में कुल 640.08 वर्ग मीटर एरिया में से, प्लॉट नंबर एच–7 पर निर्मित कमर्शियल यूनिट नंबर 205 द्वितीय तल के 10% हिस्से का ईएम, सुपर एरिया 285.62 वर्ग फीट, कवर्ड एरिया 194.25 वर्ग फीट और टेरेस/बालकनी/ओपन/ रिफ्यूज एरिया 80.94 0.94 वर्ग फीट है, साथ में नीचे भूमि में अविभाजित यथानुपात हिस्सा सहित। **स्वामी: श्री तरुण पाल सिंह जग्गी पुत्र स्वर्गीय श्री रविंदर पाल सिंह जग्गी** 23–04–2024 की वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार चार सीमाएं उत्तर: स्पेस नंबर 203 और 204 दक्षिण: स्पेस नंबर 206 पूर्व: सर्विस लेन 30' चौड़ी पश्चिम: मार्ग/स्पेस नंबर 2018 दिल्ली राज्य के मादीपुर गांव, आबादी जिसे शिवाजी पार्क, नई दिल्ली–110026 के नाम से जाना जाता है, में प्लॉट नंबर एस–8, 48 वर्ग गज एरिया पर बनी फ्रीहोल्ड संपत्ति के पूरे भू तल (छत/टेरेस अधिकार नहीं) का ईएम, संपत्ति के नीचे की भूमि में अविभाजित, अविभाज्य यथानुपात हिस्सा। **स्वामी : श्री तरुण पाल सिंह जग्गी, पुत्र स्वर्गीय श्री रविंदर पाल सिंह जग्गी** सेल डीड के अनुसार चार सीमाएं : उत्तर: सर्विस लेन , दक्षिण: मेन रोड, पूर्व: प्लॉट नंबर एस–7, पश्चिम: प्लॉट नंबर एस–9 प्लॉट नंबर एस–22, 45 वर्ग गज एरिया पर बनी फ्रीहोल्ड संपत्ति के पूरे प्रथम तल (छत/टेरेस के अधिकार नहीं) का ईएम, साथ ही बिल्डिंग/प्रॉपर्टी के नीचे भूमि में अविभाजित, अविभाज्य हिस्सा, जो गांव मादीपुर, आबादी जिसे शिवाजी पार्क, दिल्ली–110026 के नाम से जाना जाता है, के एरिया में स्थित है। निम्नानुसार सीमाबद्ध : उत्तर: ओपन/रोड, दक्षिण: सर्विस लेन, पूर्व: दुकान नंबर 23, पश्चिम: दुकान नंबर 21 **स्वामी : श्री तरुण पाल सिंह जग्गी, पुत्र स्वर्गीय श्री रविंदर पाल सिंह जग्गी,** डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नेताजी सुभाष प्लेस, वज़ीरपुर, नई दिल्ली में कुल 640.08 वर्ग मीटर एरिया में से, प्लॉट नंबर एच–7 पर निर्मित कमर्शियल यूनिट नंबर 203 द्वितीय तल के 10% हिस्से का ईएम, सुपर एरिया 149.61 वर्ग फीट, कवर्ड एरिया 101.00 वर्ग फीट और टेरेस/बालकनी/ओपन/ रिफ्यूज एरिया 88.94 वर्ग फीट है, साथ में नीचे भूमि में अविभाजित यथानुपात हिस्सा सहित। सीमा निम्नानुसार: उत्तर: खुला, दक्षिण: स्पेस नंबर 204, पूर्व: स्पेस नंबर 205 पश्चिम: पैसेज/स्पेस नंबर 201 **स्वामी: श्री तरुण पाल सिंह जग्गी पुत्र स्वर्गीय श्री रविंदर पाल सिंह जग्गी,** शिवाजी पार्क, नई दिल्ली–110026 में स्थित संपत्ति संख्या सी–19 (पुराना नंबर) और सी–19/1 (नया नंबर) में से भू तल पर, बिना छत अधिकारों के, 9.76 वर्ग मीटर की फ्रीहोल्ड निर्मित संपत्ति का ईएम। **स्वामिनी : श्रीमती अमनदीप कौर जग्गी पत्नी श्री तरुण पाल सिंह जग्गी।** शिवाजी पार्क, दिल्ली–110026 में प्लॉट नंबर सी–19 (पुराना) और सी–19/1 (नया) पर निर्मित फ्रीहोल्ड संपत्ति के भू तल क्षेत्रफल परिमाप 24.45 वर्ग मीटर (छत/टेरेस के अधिकार नहीं) का ईएम, साथ ही संपत्ति के नीचे की कुल भूमि में अविभाजित, अविभाज्य यथानुपात हिस्सा सहित। **स्वामिनी : श्रीमती अमनदीप कौर जग्गी पत्नी श्री तरुण पाल सिंह जग्गी** निजी नंबर 9 वाली दुकान का ईएम, परिमाप 9.755 वर्ग मीटर, भूतल (छत/टेरेस के अधिकार नहीं), भूमि के भूखंड संख्या सी–19 (पुराना) और सी–19/1 (नया संख्या) पर निर्मित फ्रीहोल्ड संपत्ति का हिस्सा, साथ ही संपत्ति के नीचे कुल भूमि में से अविभाजित, अविभाज्य, आनुपातिक हिस्सेदारी, संपत्ति शिवाजी पार्क, दिल्ली–110026 में स्थित है। **स्वामिनी : श्रीमती अमनदीप कौर जग्गी पत्नी श्री तरुण पाल सिंह जग्गी** पंजाबी बाग (वेस्ट), दिल्ली–110026 नाम की स्वीकृत कॉलोनी में आवासीय प्लॉट नंबर 8, रोड नंबर 53–बी पर निर्मित क्लास 'सी' में फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी कुल एरिया 555.55 वर्ग मीटर के पूरे भू तल का ईएम (छत/टेरेस के अधिकार नहीं) सामने की तरफ लॉन और पीछे खुला एरिया, भू तल पर गैरेज ब्लॉक में बना एक सर्वेंट रूम, उस संपत्ति के नीचे की कुल भूमि में अविभाजित, अविभाज्य यथानुपात एक–तिहाई हिस्सा सहित। **स्वामिनी : सुश्री अमनदीप कौर जग्गी और सुश्री मंदीप कौर जग्गी** सेल डीड के अनुसार चार सीमाएं : उत्तर: सर्विस लेन, दक्षिण: रोड नंबर 53 बी पूर्व: प्लॉट नं. 06, पश्चिम: प्लॉट नं. 10 पंजाबी बाग पश्चिम, ग्राम मादीपुर, दिल्ली एस्टेट, दिल्ली–110026 के रूप में ज्ञात अनुमोदित कॉलोनी में सड़क संख्या 70 पर, भूमि के भूखंड संख्या 4 पर निर्मित क्लास डी में 279.55 वर्ग गज के क्षेत्रफल, की फ्रीहोल्ड संपत्ति भवन की, पूरे भूतल, छत/टेरेस के अधिकार नहीं, प्रथम मेजेनाइन रूम (सीढ़ी के भीतर निर्मित) के साथ सीलिंग लेवल तक की ईएम, भवन के नीचे भूमि में आनुपातिक हिस्सेदारी के साथ, **स्वामिनी: श्रीमती मंदीप कौर जग्गी और श्री तरुण पाल सिंह जग्गी** बिक्री विलेख के अनुसार चार सीमाएं: उत्तर: संपत्ति संख्या 2, दक्षिण: संपत्ति संख्या 6, पूर्व : सर्विसलेन पश्चिम : रोड आवासीय अपार्टमेंट संख्या IV–03 का ईएम, सुपर एरिया 19.04 वर्ग मीटर (लगभग 205 वर्ग फीट) के साथ–साथ संपत्ति के नीचे भूमि पर उसके अनुपातिक, अविभाजित और अविभाज्य अधिकार, संपत्ति सुशांत एस्टेट प्रोजेक्ट, सुशांत लोक–1, तहसील और जिला गुड़गांव में ईडब्ल्यूएस अपार्टमेंट प्रोजेक्ट में, गांव कन्हाई, सेक्टर–52, गुड़गांव, हरियाणा की रेवेन्यू संपदा में स्थित है, **स्वामिनी : श्रीमती अमनदीप कौर जग्गी पत्नी श्री तरुण पाल सिंह जग्गी** 14–05–2024 की वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार चार सीमाएं : उत्तर: प्रवेश, दक्षिण: खुला, पूर्व: फ्लैट नंबर 402, पश्चिम: फ्लैट नंबर 404 फ्रीहोल्ड आवासीय अपार्टमेंट नंबर IV-02 का ईएम, सुपर एरिया 19.04 वर्ग मीटर (205 वर्ग फीट) है, सुशांत एस्टेट प्रोजेक्ट, सुशांत लोक–1, तहसील और जिला गुड़गांव में स्थित ईडब्ल्यूएस अपार्टमेंट प्रोजेक्ट में स्थित, जो गांव कन्हई, सेक्टर– 52, गुड़गांव, हरियाणा के राजस्व संपदा में स्थित है, **स्वामिनी : श्रीमती अमनदीप कौर जग्गी पत्नी श्री तरुण पाल सिंह जग्गी।** 23–04–2024 की वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार चार सीमाएं : उत्तर : प्रवेश, दक्षिण: खुला, पूर्व : फ्लैट नंबर 401, पश्चिम: फ्लैट नंबर 403	**₹ 23,40,62,305/– (केवल तेईस करोड़ चालीस लाख बासठ हजार तीन सौ पांच रुपये) साथ ही, 14.02.2026 से भविष्य का ब्याज, और एनपीए की तिथि से वसूली तक के लागत शुल्क और व्यय।**	12.08.2026 दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक	आरक्षित मूल्य रु. 1,29,36,026/- ईएमडी रु. 12,93,603/- और बोली वृद्धि राशि रु 50,000/-	संपत्ति सांकेतिक कब्जे में है और बैंक संपत्ति को सांकेतिक रूप से नीलामी क्रेता को सौंप देगा	07.08.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक
				12.08.2026 दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक	आरक्षित मूल्य रु. 96,07,640/- ईएमडी रु. 9,60,764/- और बोली वृद्धि राशि रु 50,000/-	संपत्ति सांकेतिक कब्जे में है और बैंक संपत्ति को सांकेतिक रूप से नीलामी क्रेता को सौंप देगा	07.08.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक
				12.08.2026 दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक	आरक्षित मूल्य रु. 2,12,15,000/- ईएमडी रु. 21,21,500/- और बोली वृद्धि राशि रु 50,000/-	संपत्ति सांकेतिक कब्जे में है और बैंक संपत्ति को सांकेतिक रूप से नीलामी क्रेता को सौंप देगा	07.08.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक
				12.08.2026 दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक	आरक्षित मूल्य रु. 65,69,260/- ईएमडी रु. 6,56,926/- और बोली वृद्धि राशि रु 50,000/-	संपत्ति सांकेतिक कब्जे में है और बैंक संपत्ति को सांकेतिक रूप से नीलामी क्रेता को सौंप देगा	07.08.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक
				12.08.2026 दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक	आरक्षित मूल्य रु. 86,39,000/- ईएमडी रु. 8,63,900/- और बोली वृद्धि राशि रु 50,000/-	संपत्ति सांकेतिक कब्जे में है और बैंक संपत्ति को सांकेतिक रूप से नीलामी क्रेता को सौंप देगा	07.08.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक
				12.08.2026 दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक	आरक्षित मूल्य रु. 25,57,500/- ईएमडी रु. 2,55,750/- और बोली वृद्धि राशि रु 50,000/-	संपत्ति सांकेतिक कब्जे में है और बैंक संपत्ति को सांकेतिक रूप से नीलामी क्रेता को सौंप देगा	07.08.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक
				12.08.2026 दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक	आरक्षित मूल्य रु. 41,14,275/- ईएमडी रु. 4,11,427/- और बोली वृद्धि राशि रु 50,000/-	संपत्ति सांकेतिक कब्जे में है और बैंक संपत्ति को सांकेतिक रूप से नीलामी क्रेता को सौंप देगा	07.08.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक
				12.08.2026 दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक	आरक्षित मूल्य रु. 16,28,359/- ईएमडी रु. 1,62,835/- और बोली वृद्धि राशि रु 50,000/-	संपत्ति सांकेतिक कब्जे में है और बैंक संपत्ति को सांकेतिक रूप से नीलामी क्रेता को सौंप देगा	07.08.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक
				12.08.2026 दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक	आरक्षित मूल्य रु. 40,79,240/- ईएमडी रु. 4,07,924/- और बोली वृद्धि राशि रु 50,000/-	संपत्ति सांकेतिक कब्जे में है और बैंक संपत्ति को सांकेतिक रूप से नीलामी क्रेता को सौंप देगा	07.08.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक
				12.08.2026 दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक	आरक्षित मूल्य रु. 16,26,690/- ईएमडी रु. 1,62,669/- और बोली वृद्धि राशि रु 50,000/-	संपत्ति सांकेतिक कब्जे में है और बैंक संपत्ति को सांकेतिक रूप से नीलामी क्रेता को सौंप देगा	07.08.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक
				12.08.2026 दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक	आरक्षित मूल्य रु. 6,60,00,000/- ईएमडी रु. 66,00,000/- और बोली वृद्धि राशि रु 50,000/-	संपत्ति सांकेतिक कब्जे में है और बैंक संपत्ति को सांकेतिक रूप से नीलामी क्रेता को सौंप देगा	07.08.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक
				12.08.2026 दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक	आरक्षित मूल्य रु. 2,67,71,200/- ईएमडी रु. 26,77,120/- और बोली वृद्धि राशि रु 50,000/-	संपत्ति सांकेतिक कब्जे में है और बैंक संपत्ति को सांकेतिक रूप से नीलामी क्रेता को सौंप देगा	07.08.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक
				12.08.2026 दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक	आरक्षित मूल्य रु. 20,50,000/- ईएमडी रु. 2,05,000/- और बोली वृद्धि राशि रु 50,000/-	संपत्ति सांकेतिक कब्जे में है और बैंक संपत्ति को सांकेतिक रूप से नीलामी क्रेता को सौंप देगा	07.08.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक
				12.08.2026 दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक	आरक्षित मूल्य रु. 20,50,000/- ईएमडी रु. 2,05,000/- और बोली वृद्धि राशि रु 50,000/-	संपत्ति सांकेतिक कब्जे में है और बैंक संपत्ति को सांकेतिक रूप से नीलामी क्रेता को सौंप देगा	07.08.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक

नोट: उपरोक्त के आलोक में, आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता, बंधककर्ता और गारंटर को सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री नोटिस के संबंध में नोटिस दिया जाता है, जिसे सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित, जो पहले अधोहस्ताक्षरी, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा शुरू की गई थी, जिसके लिए उधारकर्ता और उसके गारंटर को आवश्यक नोटिस विधिवत जारी किए गए थे।
यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ऐसे सभी पिछले ई–नीलामी बिक्री नोटिस वापस ले लिए गए हैं। इसके अलावा, इस नोटिस को कानून के अनुसार जारी किया गया एक नया और स्वतंत्र नोटिस माना जाएगा, जो अधोहस्ताक्षरी, बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट लिंक **https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm** और **https://baanknet.com** पर जाएं/संदर्भ लें। इसके अलावा, संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी श्रीमती **नीलम यादव, मोबाइल: 7838860672 से संपर्क कर सकते हैं।**

दिनांक : 04-07-2026, स्थान : नई दिल्ली — **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा**

pnb पंजाब नैशनल बैंक .....भरोसे का प्रतीक **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, नोएडा, एसएच–12,
प्रथम तल, गामा शॉपिंग सेन्टर–गामा– I, ग्रेटर नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर –201308
ई–मेल : cs8290@pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस, आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / कर्जदार/गारंटर्स खाते का नाम एवं पता	A) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि B) बकाया राशि C) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि D) कब्जा की स्थिति सांकेतिक / भौतिक/रचनात्मक	अचल सम्पत्तियों का विवरण – बंधक/स्वामी के नाम (सम्पत्तियों के बंधककर्ता)	A) आरक्षित मूल्य B) ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि) C) बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	प्रतिभूति लेनदार के संज्ञान में ऋण भारों का विवरण और प्राधिकृत अधिकारी का नाम
1.	A) अल्फा–2, ग्रेटर नोएडा का पता B) श्रीमती रीतू गर्ग पत्नी श्री मनीष गर्ग 447600NC00002804 4476009900000986 C) उधारकर्ता श्रीमती रीतू गर्ग पत्नी श्री मनीष गर्ग, फ्लैट संख्या– 16/43, (एम.आई.जी.), प्रथम तल, सेक्टर–16, वसुंधरा, गाजियाबाद	A) 21.08.2025 B) रु.58,24,092.50 (अट्ठावन लाख चौबीस हजार बानवे और पचास पैसे मात्र) दिनांक 08/08/2025 तक, पूर्ण भुगतान होने तक अतिरिक्त ब्याज और शुल्क सहित। (C)13.11.2025 (D) (सांकेतिक)	फ्लैट संख्या– 16/43, का वह समस्त भाग एवं खंड, (एम.आई.जी.) प्रथम तल, सेक्टर–16 वसुंधरा, गाजियाबाद, उ.प्र., कुल क्षेत्रफल–34.82 वर्ग मीटर रीतू गर्ग के नाम पर	A) रु 38,20,000/- B) रु 3,82,000/- C) रु 10,000.00	30.07.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक	ज्ञात नहीं श्री संतोष कुमार झा मोबाइल: 9650960134 प्राधिकृत अधिकारी एआरएमबी नोएडा

नोट: SA-157/2026 माननीय DRT लखनऊ के समक्ष लंबित है।

नियम एवं शर्तें : बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। (1) **सम्पत्तियां को "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" बेचा जा रहा है।** (2) ऊपर वर्णित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार दर्शाई गई है, किंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। (3) नीलामी ई–नीलामी प्लेटफार्म वेबसाईट **https://baanknet.com** के माध्यम से ऊपर वर्णित दिनांकों को आयोजित की जाएगी। (4) अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट्स : **https://baanknet.com & www.pnbindia.in** देखें। (5) सभी सांविधिक बकाया/अटेंडेंट शुल्क/पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, कर इत्यादि अन्य बकाया, खरीददारों को वहन करना होगा। प्राधिकृत अधिकारी या बैंक किसी भी शुल्क के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऋणभार में ग्रहणाधिकार सांविधिक बकाया या किसी अन्य के लिए संपत्ति (ई–नीलामी) के संबंध में जो बैंक को ज्ञात नहीं है, इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर की बकाया राशि, बिजली बकाया इत्यादि संपत्ति पर भार के संबंध में स्वतंत्र पूछताछ करें।

सरफासी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित नियम 9(1) के अंतर्गत बिक्री सूचना

दिनांक : 07.07.2026, स्थान : ग्रेटर नोएडा — **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक**